

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक अगस्त, 2014

पत्र संख्या-1/एल1-10-15/2013 गृ0आ0 /विभागीय अधिसूचना संख्या-4831, दिनांक 12.06.2014 जिसके द्वारा दिनांक 16.06.2014 से 13.07.2014 तक कुल 28 (अठाईस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी गयी है, के क्रम में श्री रविन्द्र कुमार, भा0पु0से0 (1984), तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना सम्प्रति अपर पुलिस महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 14.07.2014 से 23.07.2014 तक कुल-10 (दस) दिनों का उपार्जित अवकाश के अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह0/-

(रामजीवन सत्यार्थी)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/एल1-10-15/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक अगस्त, 2014  
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/एल1-10-15/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक अगस्त, 2014  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/एल1-10-15/2013 गृ0आ0 7102 /पटना, दिनांक 29 अगस्त, 2014  
प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री रविन्द्र कुमार, भा0पु0से0 (1984), अपर पुलिस महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
28/8/14  
सरकार के उप सचिव